



प्रेस विज्ञप्ति
22.04.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत, मेसर्स राजेश्वर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के मामले में चल रही जांच के सिलसिले में, अवैध विदेशी धन प्रेषण से संबंधित मामले में 21.04.2026 को भारत भर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। महाराष्ट्र में 9, दिल्ली में 2 और आंध्र प्रदेश में 2 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें कथित लाभार्थियों, प्रमुख संचालकों, बुलियन व्यापारियों और सहकारी ऋण समितियों के परिसर शामिल थे, जो विदेशों में धन के हस्तांतरण में शामिल थे। तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद कर जप्त किए गए हैं।

ईडी ने मुंबई के एन.एम. जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में रितेश अमृतलाल जैन और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और धन की हेराफेरी के लिए फर्जी संस्थाओं और फर्जी फर्मों का नेटवर्क बनाने का आरोप लगाया गया था। जांच से पता चला कि अपराध से प्राप्त धन को रितेश अमृतलाल जैन के कर्मचारियों/सहयोगियों के नाम पर बनाई गई कई संस्थाओं के माध्यम से, जिनमें मेसर्स राजेश्वर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल है, आयात-निर्यात लेनदेन की आड़ में विदेशों में भेजा गया था।

ईडी की जांच में एक सुनियोजित, बहुस्तरीय मनी लॉन्ड्रिंग तंत्र का खुलासा हुआ है, जिसमें सहकारी ऋण समितियों, बुलियन व्यापारियों और मध्यस्थ संस्थाओं के माध्यम से धन की तस्करी की जाती थी और फिर उसे छिपाने के लिए शेल कंपनियों के जाल के माध्यम से भेजा जाता था। अंततः इन पैसों (फंड्स) को मेसर्स राजेश्वर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों में समेकित किया गया, जिसने ओवर इनवॉइस आयात और फर्जी निर्यात के माध्यम से विदेशों में धन की हेराफेरी के लिए मुख्य माध्यम के रूप में कार्य किया। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान, इसके खातों के माध्यम से 1400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हांगकांग, दुबई और थाईलैंड स्थित विदेशी संस्थाओं को भेजी गई। इसके अलावा, 1,478 करोड़ रुपये से अधिक की निर्यात आय अप्राप्त (अनरिलीज्ड) रही, जो स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि ये लेन-देन केवल कागजी दस्तावेज थे जिनमें कोई वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि नहीं थी।

अब तक की तलाशी में आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय उपकरण बरामद हुए हैं, जिनमें रबर स्टैम्प, मूल पैन कार्ड, तस्वीरें और खाली हस्ताक्षरित चेक बुक शामिल हैं, जो फर्जी संस्थाओं के निर्माण और संचालन के लिए पहचान के व्यवस्थित दुरुपयोग को स्थापित करते हैं। व्यक्तियों को नाममात्र के पारिश्रमिक के लिए डमी निदेशकों/नाममात्र के ऋणदाताओं के रूप में इस्तेमाल किया गया, जबकि शेल कंपनियों के पूरे नेटवर्क का वास्तविक नियंत्रण मुख्य आरोपी रितेश अमृतलाल जैन के पास ही रहा।

आगे की जांच से पता चला है कि कई व्यक्तियों को सहकारी ऋण समितियों के सदस्य के रूप में नामांकित किया गया था और उनके नाम पर बैंक खाते खोले गए थे। इन खातों का उपयोग सुनियोजित नकद जमा के लिए किया गया था, जिसे बाद में रितेश जैन द्वारा नियंत्रित फर्जी संस्थाओं को निर्देशानुसार हस्तांतरित कर दिया गया था। इसके बाद धनराशि को कई संस्थाओं के माध्यम से अलग-अलग तरीकों से स्थानांतरित किया गया और विदेश भेजा गया, जिससे इसके वास्तविक स्रोत और स्वामित्व को छिपाया जा सके। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि लगभग 200 करोड़ रुपये इस प्रकार सहकारी समितियों के माध्यम से भेजे गए। जांच में सोने के व्यापारियों की भूमिका भी उजागर हुई है, जिनके लेन-देन का इस्तेमाल धन के हस्तांतरण के लिए एक आवरण के रूप में किया गया था। तलाशी



के दौरान जब्त किए गए रिकॉर्ड और सामग्री से पता चलता है कि बिल नकली प्रतीत होते हैं और माल की वास्तविक आवाजाही से समर्थित नहीं हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि लेन-देन को वैधता प्रदान करने के लिए फर्जी प्रविष्टियों का इस्तेमाल किया गया था। इन सोने के व्यापारियों द्वारा रितेश अमृतलाल जैन द्वारा स्थापित संस्थाओं को 250 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई थी।

ईडी ने इससे पहले 58.16 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी और माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष एक अभियोजन शिकायत (पीसी) भी दायर की गई थी।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।